न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ

पीठासीन अधिकारी: **ओमप्रकाश सहारण RAS**

न्याय निर्णयन प्रकरण संख्याः–**04 / 23** (खाद्य पदार्थ नमुना संख्या के, **(1728)**

राजस्थान सरकार जरिये कंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री गंगानगर। प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री मदन लाल (विक्रेता) मैसर्स श्रीराम मिष्ठान्न भंडार, मैन बाजार स्टेशन रोड, अनूपगढ़।
2. श्री मदनलाल पुत्र श्री कानी लाल (मालिक) मैसर्स श्रीराम मिष्ठान्न भंडार, मैन बाजार स्टेशन रोड, अनूपगढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा **26 (2)ii/51 FSSA Act 2006**

निर्णय दिनांकः– 23.08.2024

यह इस्तगासा **तत्कालीन** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 **ii** की धारा **51** एफ, एस, एस, ए 2006 के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा में वर्णित तथ्य इस प्रकार हैः– यह है कि परिवादी तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक **25.03.2023** को दोपहर **01:05** बजे बजे पर निरीक्षणार्थ मैसर्स– **श्रीराम मिष्ठान्न भंडार, मैन बाजार स्टेशन रोड, अनूपगढ़** का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान **श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री मदन लाल (विक्रेता)** को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर संस्थान में फिज के अंदर टीन में रखे पनीर खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वयं को संस्थान का विक्रेता बताया तथा संस्थान में फिज के अंदर टीन में रखे 05 किलोग्राम खाद्य पनीर को आमजन के बेचान वास्ते होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ **पनीर 01 किलोग्राम** को विकेता से खरीद कर लिया। विकेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ पनीर का नगद भुगतान **300 /–** रूपए किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया। विक्रेता को मौके पर फार्म नं0 5 ए भरकर प्रति नमुना सूचनार्थ दी गई गवाहान व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवा के फॉर्म संख्या 5 ए की प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और खरीद प्राप्ती रसीद ली जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस **श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री मदन लाल (विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **मालिक श्री मदनलाल ,श्री प्रभुदयाल (विक्रेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा पनीर को बराबर चार बोतलों में भरकर लिया। 4 बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाए प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 20 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद कर लेबलों पर डी. ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–1728** के दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराए। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के 1728** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रत्येक नमुना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये की पेपर स्लिप व रेपर दोने पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण **के– 1728 पनीर** लिखकर हस्ताक्षर किये। चारों नमुना भागो को अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर मौके फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को मौके पर पढकर सुनाकर समझ[illegible] पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैने स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर [illegible]

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिका[illegible] प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमुना सिल लगाई जिससे नमुना सील [illegible] 06 की आउटर कवर में सील बंद कर सिल मोहर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] करवा कर रसीद प्राप्त की [illegible] न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति अ[illegible] एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी [illegible] सील मोहर कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर को जमा क[illegible] फॉर्म सं0 6 की पुस्तक पर र[illegible] प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सिल बंद नमुना भाग में फॉर्म नं0 6 की दो प्रतिया के आउटर कवर में सिल बंद कर तथा नमुने का चौथा भाग डीओ मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी श्रीगंगानगर को मेरे स्वयं के द्वारा जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2024.09.10 14:16:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(5)

यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक FSSA/2023/869-70 दिनांक 24.04.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेशक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राजस्थान बीकानेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट क्रमांक L.S.427/Act/2023/427 दिनांक 06.04.2023 अनुसार उक्त नमुना Sub Standard Food पाया गया। खाद्य विश्लेशक बीकानेर की जॉच रिर्पोट न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पत्रावली, कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभीहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने पत्र 1150-51 दिनाक 28.07.2023 के द्वारा अवधि पार खाद्य पदार्थ के नमून के प्रकरणों की अभियोजन समय सीमा बढ़ाने एवं माननीय न्यायालय मे केस लगान की स्वीकृति प्रदान हेतु आवेदन किया है।

श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के पत्रांक आयुक्ता./खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के द्वारा वर्तमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री कंवरपाल सिंह को उक्त प्रकरण को संस्थित करने हेतु अधिकृत किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन स्वीकृति पत्र 1150-51 दिनांक 28.07.2023 संस्थित करने हेतु अधिकृत किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। अप्रार्थी द्वारा पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) ii/51 FSSA Act 2006

श्रीमान जी से निवेदन है कि अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सके।

गैरसायल द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकन किया कि गैरसायल द्वारा उक्त पनीर कि परिवाद पत्र की मद सं. 1 रिकॉर्ड तथ्य जोकि कानूनी विषय है परिवाद पत्र की मद सं. 2 को साक्ष्य द्वारा साबित करने का दायित्व परिवादी का है। परिवाद पत्र की मद सं. 3 में अंकित तथ्यों को परिवादी द्वारा साक्ष्य से साबित किया जाना आवश्यक है। परिवाद पत्र की मद सं. 4 साक्ष्य द्वारा साबित करने का दायित्व परिवादी का है। परिवाद पत्र की मद सं. 5 अस्वीकार है। परिवाद पत्र की मद सं. 6 अस्वीकारी है। परिवाद पत्र की मद सं. 7 कानूनी है। परिवाद पत्र की मद सं. 8 कानूनी विषयान्तर्गत आती है। परिवाद पत्र की मद सं. 9 अस्वीकार है। परिवाद पत्र की मद सं. 10 कानूनी विषयान्तर्गत है। परिवाद पत्र की मद संख्या 11 अस्वीकार है। परिवाद पत्र की मद संख्या12 अस्वीकार है। परिवाद पत्र की मद सं. 13 स्वीकार है अन्य तथ्य अस्वीकार है।

खाद्य निरीक्षक द्वारा इस्तगासा में दर्ज सभी आरोपो को निराधार बताया, एवं निवेदन किया कि खाद्य विशलेशक की रिपोर्ट में विश्लेषण रिपोर्ट एफ.एस.एस.ए अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अंकित माप दण्ड अनुसार पनीर अमानक पाया गया है। तथा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा हो ऐसा कोई हानिकारक मिश्रण पनीर में होना खाद्य विश्लेषक अथवा खाद्य निरीक्षक द्वारा इस्तगासा मे दर्ज नही किया गया है। बहस गैरसायल प्रार्थी प्रस्तुत जबाव तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, गैरसायल के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट खाद्य विश्लेषक प्रयोग शाला बीकानेर क्रमांक L.S.427/Act/2023/427 दिनांक 06.04.2023 के-1728 Sub Standard food पाया गया है। अतः एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा 26(2) ii 51 के अन्तर्गत प्रावधान के मध्य नजर गैरसायलफर्म 1. श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री मदन लाल (विक्रेता) मैसर्स श्री राम मिष्ठान्न भंडार, मैन बाजार स्टेशन रोड़ अनूपगढ़ 2. श्री मदनलाल पुत्र श्री कानी लाल (मालिक) मैसर्स श्री राम मिष्ठान्न भंडार, मैन बाजार स्टेशन रोड़ अनूपगढ/-25000/ रूपये का आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला भुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय आज दिनांक 23.08.24 को सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2024.09.10 14:16:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner